::आदेश::

भारत सरकार पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर–कन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/ 94/2019/एफ0सी0/1778 दिनांक 08.11.2019 के द्वारा जनपद–टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड़ से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड 8.125 कि0मी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.1415 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम कुण्ड पट्टी सकलाना की 10.283 है0 सिविल भूमि(उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व) का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी धनोल्टी के पत्र संख्या–23/र0का0 (भूमि हस्तान्तरण) –20, दिनांक धनोल्टी ,24 जनवरी 2020 के अन्तर्गत तहसील धनोल्टी की भूमि निम्नवत् प्रस्तावित की गई है।

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रक्बा(है0मे)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
कुण्ड	सकलाना	14	1485	5.617 है0	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड.
			1513 मध्ये	4.666 है0	
				10.283 है0	

प्रस्तावित मरोड से बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड 8.125 कि0मी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या –2882/XVIII(II)/ 11–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या –2365/XVIII(II)/13-18 (120)/2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010राजस्व अनुभाग –2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी धनोल्टी के द्वारा प्रस्तावित किये गये ग्राम कुण्ड पट्टी सकलाना के खाता संख्या–14 के खसरा नम्बर 1485 रक्बा 5.617 है0एवं खसरा नम्बर 1513 मध्ये 4.666है0 कुल रक्बा 10.283 है0(दस दशमलव दो आठ तीन है0) श्रेणी 9(3)ड. (राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन) सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित की जाती है। तहसीलदार धनोल्टी तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित /इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

पंजिका सं0– 08
वर्ष 2019-20
.XI......मिसल 128
.... सं0 (2019-20)
.... 2206 17-3-20

(डा0वी0षणमुगम)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 507/XI–128(2018–19)दिनाक,नई टिहरी,फरवरी,17 ,2020

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव,वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी।
6– अधिशासी अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई0, (लो0नि0वि0)सिंचाई खण्ड–2 नई टिहरी।
7– उप जिलाधिकारी धनोल्टी।
8– तहसीलदार धनोल्टी को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

Scanned by CamScanner

आज दिनांक 04/03/2020 को जनपद - टिहरी गढ़वाल के ~~जौपुर~~ जौनपुर विकासखण्ड के अन्तर्गत रायपुर - कुमाल्डा - कदूखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 35 से घेना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0826 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों के लिए पी०एम० जी० एस० वाई० सिं० ख०-2 नई टिहरी, को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा आवंटित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम घेना के हाल खाता सं०-11 खसरा नम्बर - 304 रकबा 2.101 हे०, खसरा सं०-391 रकबा 0.260 हे० एवं खसरा सं०- 420 रकबा 0.718 हे० कुल रकबा 3.079 हे० ~~[illegible]~~ (नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत) एवं उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी 9(3) इ (राजस्व विभाग के नियन्त्राधीन) कृषि योग्य बंजर भूमि है। वन क्षेत्राधिकारी सकलाना रेंज द्वारा सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी एवं बीट अधिकारी द्वारा मौके पर राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को अपने कब्जे में ले ली गई है।

[signature]
J.E.
PMGSY
ID-2 New Tehri

[signature]
रा०उ०नि० लवाड़ियों/कुटेटी
तह० - धनौल्टी, टिहरी ग०

[signature]
(जगपाल सिंह)
अनुभाग अधिकारी
सकलाना रा०

[signature]
(विजयप्रसाद बलकोटी
अधिकारी मोठकाटे)

अमलदामद भूमि कब्जे में लेने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

जनपद–टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकासखण्ड के अन्तर्गत रायपुर–कुमाल्डा कद्दूखाल मोटर मार्ग के किमी0 35 से घेना तक मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0826 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो के लिए पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0–2, नई टिहरी, नई टिहरी को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा आबंटित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम घेना के हाल खाता संख्या–11 के खसरा नम्बर 291 रकबा 1.048 है0, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.336 है0 खसरा नम्बर 304 रकबा 2.101 है0, खसरा नम्बर 391 रकबा 0.260 है0 एवं खसरा नं0– 420 रकबा 0.718 है0 कुल रकबा 4.463 है0 मध्ये 4.165 है0 उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी 9(3) ड(राजस्व विभाग के नियन्त्राधीन) कृषि योग्य बंजर भूमि है। वन क्षेत्राधिकारी रायपुर रेंज द्वारा मौके पर राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को अपने कब्जे में ले ली गई है। जिसके फलस्वरूप उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

24/03/2020
राजस्व उपनिरीक्षक
ल्वार्खा
तहसील – धनोल्टी
टिहरी गढ़वाल

(प्रेम सिंह रावत)
व0र0

(विजय कुमार वन दरोगा/अधिकारी गो0वर्द)

अनुभाग अधिकारी

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम	:–	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–कद्‌दुखाल मोटर मार्ग कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्‌टी तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्यरत श्रमिकों को रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

परियोजना का नाम	:–	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्र्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दुखाल मोटर मार्ग कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना का प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के लिये वन भूमि प्रयोग प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये वन भूमि प्रयोग नही किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

परियोजना का नाम	:–	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दुखाल मोटर मार्ग कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किया जायेगा अथवा Strip Plantation हेतु धनराशि वन विभाग के पक्ष में स्थानन्तिरत कर दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

परियोजना का नाम	:–	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दुखाल मोटर मार्ग कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय देख–रेख में अथवा प्रयोक्ता अभिकरण चाहे तो वन विभाग द्वारा किया जा सकता है। निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र नही फेंका जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता	**सहायक अभियन्ता**	**अधिशासी अभियन्ता**
पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

परियोजना का नाम	:–	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दुखाल मोटर मार्ग कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता कि परियोजना में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता विभाग की जिम्मेदारी होगी। तथा अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एंव वन्य जीव के संरक्षण हेतु आवश्यक प्रयोक्ता विभाग उक्त शर्तो का अनुपालन करेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	**सहायक अभियन्ता** पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	**अधिशासी अभियन्ता** पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

जो० वि० र० नकल खतौनी 1422 फ० - 1427 फ० ग्राम - धेना
पट्टी - सकलाना, तहसील - धनोल्टी, जिला - टिहरी गढ़वाल।

भूलेख प्रपत्र सं0 प–11 श्रेणी 5 (3) ड- कृषि योग्य बंजर भूमि -

11	उत्तराखण्ड सरकार हाल 5 (3) ड़ कृषि योग्य बंजर भूमि।	बन्दोबस्त से	1	0.053
			15	0.013
			17	0.004
			22	0.005
			280	0.005
			291	1.048
			296	0.019
			298	0.018
			301	0.336
			304	2.101
			306	0.099
			390	0.070
			391	0.260
			393	0.015
			411	0.150
			420	0.718
			422	0.698
			2747	0.098
			2748	0.080
			1640/2756	0.023
		योग	303	70.539

1427 फ० आदेश - मुताबिक आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के आदेश सं० - 522/X1-131 (2019-20) दि० नई टिहरी फरवरी 19, 2020 पर शासनादेश सं० - 2173/XVIII (11)/2012-18 (120)/2010 राजस्व अनुभाग - 2, दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार ग्राम - धेना के जो० वि० र० खतौनी खाता सं० - 11 में खसरा नम्बर 291 म० रकबा 0.750 हे०, 301-0.336, 304-2.101, 391-0.260, 420-0.718 हे० कुल 4.165 हे० भूमि वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अंकित दर्ज किया।

[signature]
रा०उ०नि०
ल्वार्खा/कुड़ी

मुताबिक असल के नकल तैयार की।

[signature] 22/2/2020
राजस्व उपनिरीक्षक
ल्वार्खा
तहसील - धनोल्टी
[illegible]

ज० वि० र० नकल खतौनी 1422 फ० - 1427 फ० ग्राम - धेना
पट्टी - सकलाना, तहसील - धनोल्टी, जिला - टिहरी गढ़वाल।

भूलेख प्रपत्र सं० प--11 श्रेणी 5(3)ड - कृषि योग्य बंजर भूमि -

11	उत्तराखण्ड सरकार हाल 5(3)ड कृषि योग्य बंजर भूमि।	बन्दोबस्त से	1	0.053
			15	0.013
			17	0.004
			22	0.005
			↓	↓
			280	0.005
			291	1.048
			296	0.019
			298	0.018
			301	0.336
			304	2.101
			306	0.099
			↓	↓
			390	0.070
			391	0.260
			393	0.015
			↓	↓
			411	0.150
			420	0.718
			422	0.698
			↓	↓
			2747	0.098
			2748	0.080
			1640/2756	0.023
		योग	303	70.539

1427 फ० आदेश - मुताबिक आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के आदेश सं० - 522/XI-131 (2019-20) दि० नई टिहरी फरवरी 19, 2020 पर शासनादेश सं० - 2173/XVIII (II)/2012-18 (120)/2010 राजस्व अनुभाग-2, दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार ग्राम - धेना के ज० वि० र० खतौनी खाता सं०-11 में खसरा नम्बर 291 मि० रकबा 0.750 हे०, 301-0.336, 304-2.101, 391-0.260, 420-0.718 हे० कुल 4.165 हे० भूमि वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अभिलेख दर्ज किया।

(हस्ताक्षर)
रा०उ०नि०
ल्वार्खा/कुडली

मुताबिक असल के नकल तैयार की।

(हस्ताक्षर) 22/2/2020
राजस्व उपनिरीक्षक
ल्वार्खा
तहसील - धनोल्टी
[illegible]

परियोजना का नाम	:–	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के [illegible] कुमाल्डा–कद्दुखाल मोटर मार्ग कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल (69+115 मसूरी वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग) वृक्षों में से वास्तविक रूप से कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

परियोजना का नाम	:–	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दुखाल मोटर मार्ग कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	**सहायक अभियन्ता** पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	**अधिशासी अभियन्ता** पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत रायपुर–कुमाल्डा–कद्दुखाल मोटर मार्ग कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रभावित वनभूमि जिसका क्षेत्रफल 2.0825 है0 है, के हस्तान्तरण मामले में प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुने क्षेत्र 4.165 है0 सिविल सोयम भूमि मौजा घेना का दिनांक 4 Dec, 2019 को स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा इस सम्पूर्ण क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र 4.165 है0 में हरियाली का घनत्व 0.4 से कम है, जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, जिसमे 1000 पौध प्रति है0 वृक्षारोपण कार्य किया जा सकता है।

J.E.

सहायक अभियन्ता – चतुर्थ
पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0खं0-
नई टिहरी

Earmu Ram व0र0
(धरमू राम वनरक्षक)
बांदल प्रथम बीट

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज,
मसूरी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून
मसूरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

परियोजना का नाम	:–	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दुखाल मोटर मार्ग कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/ स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	**सहायक अभियन्ता** पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	**अधिशासी अभियन्ता** पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

परियोजना का नाम	:–	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर–कुमाल्डा–कद्दुखाल मोटर मार्ग कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नही किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी